तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 03/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.5.2024	पत्रावली आज दिनांक 20.5.2024 को पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल श्रवणसिंह पुत्र पहाड़सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– डाक बंगले के पास, सरुपगंज, पुलिस थाना सरुपगंज, जिला– सिरोही को इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफतारी वारन्ट की पालना में पुलिस थाना सरुपगंज द्वारा आज दिनांक 20.5.2024 को मेरे समक्ष पुलिस अभिरक्षा में पेश किया गया। जिस पर पत्रावली आज दिनांक 20.5.2024 को तारीख पेशी में ली गई। गैरसायल की ओर से वकील श्री शैतान खरोर उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश है व शराब बेचने का अपराध करने का आदि है। गैरसायल द्वारा इस प्रकार शराब बेचने का कारोबार चलाने से कई गरीब परिवार अपनी जमा पुंजी गवा चुके है एवं गवा रहे है तथा गैरसायल द्वारा शराब का अवैध कारोबार करने से समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। युवा एवं किशोर वर्ग शराब पीने की तरफ अग्रसर हो रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। गैरसायल के इस प्रकार के कृत्य से आम जन में भय का वातावरण बना हुआ है। आमजन ऐसे बदमाश व्यक्ति की आपराधिक हरकतों से परेशान है व इसने थाना क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण बना दिया है इसके भय के कारण लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नही है। गैरसायल के विरुद्ध अवैध शराब बेचे जाने व परिवहन करते पकड़े जाने पर पुलिस थाना सरुपगंज में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 20/54 के तहत 01 व धारा 19/54 के तहत 01 प्रकरण दर्ज हुये है, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त दोनों अपराधों में दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है। वर्तमान में भी गैरसायल अवैध शराब परिहवन करने से बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था, समाज पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरोही जिलें से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 20/54 के तहत दर्ज 01 प्रकरण व धारा 19/54 के तहत दर्ज 01 प्रकरण कुल 2 प्रकरणों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से स्वीकार करने के कारण गैरसायल ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 03/2024	नम्बर तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया है। गैरसायल के विरुद्व दिनांक 12.5.2017 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्व प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल श्रवणसिंह पुत्र पहाड़सिंह, जाति– डाक बंगले के पास, सरुपगंज, पुलिस थाना सरुपगंज, जिला– सिरोही के विरुद्व पुलिस थाना, सरुपगंज में राजस्थान आबाकारी अधिनियम, 1950 की धारा 20/54 के तहत अपराध संख्या 75 दिनांक 12.5.2017 व धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 230 दिनांक 25.11.2013 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार उक्त अपराध संख्या 75 दिनांक 12.5.2017 व अपराध संख्या 230 दिनांक 25.11.2013 में गैरसायल के विरुद्व संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। गैरसायल के विरुद्व दर्ज उक्त अपराध संख्या 75 दिनांक 12.5.2017 व अपराध संख्या 230 दिनांक 25.11.2013 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराते हुए जुर्मान/सजा से दण्ड़ित किया गया है। गैरसायल के विरुद्व दर्ज उक्त अपराध संख्या 75 दिनांक 12.5.2017 व अपराध संख्या 230 दिनांक 25.11.2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 75 दिनांक 12.5.2017 व अपराध संख्या 230 दिनांक 25.11.2013 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 22.11.2021 व 01.12.2014 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब बेचने एवं परिवहन करने के अपराध करने का आदि है। वर्तमान में भी गैरसायल अवैध शराब परिहवन करने से बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था एवं समाज पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है एवं गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल श्रवणसिंह पुत्र पहाडसिंह, जाति– राजपूत, निवासी–डाक बंगले के पास, सरुपगंज, पुलिस थाना सरुपगंज, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में

.......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 03/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 21.5.2024 से 20.6.2024 तक की अवधि के लिये तहसील क्षेत्र, पिण्ड़वाडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के तहसील क्षेत्र, पिण्ड़वाडा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नही रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 31.5.2024 तथा 11.6.2024 को पुलिस थाना, आबूरोड़ सदर में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ सदर को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरुपगंज को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा एवं इसी कदर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र एवं प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। आदेश दिये जाते है कि गैरसायल की यदि किसी अन्य मुकदमें में आवश्यकता नही हो तो गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरुपगंज / आबूरोड़ सदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested